रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253022
CG-DL-E-15032024-253022

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1287] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2024/फाल्गुन 24, 1945
No. 1287] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2024

का.आ. 1353(अ).—जबकि मेसर्स अयाना रिन्यूएबल्स पावर थ्री प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एस 2904, 29वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ब्रिगेड गेटवे कैंपस, 26/1, डॉ. राजकुमार रोड, राजाजीनगर, बेंगलुरु, कर्नाटक-560055 में स्थित है, ने राजस्थान के बीकानेर जिले में अपनी 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए अयाना रिन्यूएबल्स पावर थ्री प्राइवेट लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम में शामिल समर्पित ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना के तहत शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/17/2023-पीजी दिनांकित 11.09.2023 के द्वारा राजस्थान के बीकानेर जिले में अपनी 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए अयाना रिन्यूएबल्स पावर थ्री प्राइवेट लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम में शामिल समर्पित ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स अयाना रिन्यूएबल्स पावर थ्री प्राइवेट लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों हिंदुस्तान टाइम्स तथा इंडियन एक्सप्रेस (दोनों अंग्रेजी में) दिनांक 18.09.2023, दैनिक भास्कर तथा राजस्थान पत्रिका (दोनों हिंदी में) दिनांक

18.09.2023, और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 16.12.2023 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था । इसके पश्चात, मेसर्स अयाना रिन्यूएबल्स पावर थ्री प्राइवेट लिमिटेड ने 26.02.2024 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर कोई टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत राजस्थान के बीकानेर जिले में अपनी 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए अयाना रिन्यूएबल्स पावर थ्री प्राइवेट लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम में शामिल समर्पित शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन हैं:

- अयाना रिन्यूएबल पावर थ्री पावर प्लांट - अयाना रिन्यूएबल पावर वन एंड थ्री प्राइवेट लिमिटेड 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन का कॉमन पूलिंग स्टेशन

उपरोक्त योजना के अंतर्गत शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन राजस्थान प्रदेश के निम्नांकित गाँवों,कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

गॉवों के नाम	तहसील	**जिला**
जलालसर, अहमदनगर, खीचीयां, कानासर	बीकानेर	बीकानेर

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स अयाना रिन्यूएबल्स पावर थ्री प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मेसर्स अयाना रिन्यूएबल्स पावर थ्री प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

vii. यदि उपरोक्त शिरोपरि लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त शिरोपरि लाइन के मार्ग का कुछ भाग) मानचित्र में चिह्नित जीआईबी संभावित क्षेत्र (या प्राथमिकता क्षेत्र) में आता है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जीआईबी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838, आदेश दिनांक 19.04.2021 का हिस्सा है | आवेदक को उपरोक्त ट्रांसमिशन लाइन के भूमिगत होने के संबंध या बर्ड डायवर्टर लगाने के लिये , जैसा भी मामला हो , माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.2021 के निर्देशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी समिति के निर्देशों का पालन करना है।

[फ़ा. सं. 25-16/10/2024-पीजी]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 13th March, 2024

S.O. 1353(E).—Whereas M/s Ayana Renewable Power Three Private Limited, the applicant with its registered office at S 2904, 29th floor, World Trade Center, Brigade Gateway Campus, 26/1, Dr Rajkumar Road, Rajajinagar, Bengaluru, Karnataka-560055, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line for providing connectivity to its 300 MW solar power plant in Bikaner district, Rajasthan.

And whereas, Central Electricity Authority (CEA), Ministry of Power, Government of India vide its letter 25-17/17/2023-PG dated 11.09.2023 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line for providing connectivity to its 300 MW solar power plant in Bikaner district, Rajasthan.

M/s Ayana Renewable Power Three Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Hindustan Times and The Indian Express (both in English) dated 18.09.2023, Dainik Bhaskar and Rajasthan Patrika (both in Hindi) dated 18.09.2023, and in Weekly Gazette of India dated 16.12.2023 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Ayana Renewable Power Three Private Limited has submitted an affidavit dated 26.02.2024 declaring that no observation/representation was received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of overhead transmission line for providing connectivity to its 300 MW solar power plant in Bikaner district, Rajasthan. The following overhead transmission line is covered under this scheme:

- Ayana Renewable Power Three Power Plant - Common Pooling Station of Ayana Renewable Power One & Three Private Limited 400 kV transmission line

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Rajasthan:

Villages	Tehsil	District
Jalalsar, Ahamadnagar, Khichiyan, Kanasar	Bikaner	Bikaner

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Ayana Renewable Power Three Private Limited for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s Ayana Renewable Power Three Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the GIB potential zone (or priority zone) marked in the map which is part of the order of the Hon'ble Supreme Court order dated 19.04.2021, in the petition No.838 of 2019 regarding GIB (Great Indian Bustard) case, the applicant has to comply with the directions of the Hon'ble Supreme Court, with regard to undergrounding of the above overhead transmission line and / or fixing of bird diverters, as the case may be as per the Hon'ble Supreme Court Order dated 19.04.2021 and the directions of the technical committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/10/2024-PG]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2024.03.15 00:10:09 +05'30'